फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर

सांगानेर बनाम जोधाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 207/22 T.9 /20 22 570

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/5/24	पत्रावली पेश हुई। ~~नकीब उमर 43/3 पूर्व~~ प्रति सं. 1, 3 व 8 अनुपस्थित। प्रति सं. 1, 3 व 8 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 151 CPC खारिज किया जाता है। वास्ते बहस T.9 हेतु पत्रावली दि० 13/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
3/5/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दोनों बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की मूल वाद के निस्तारण तक बहाली किये जाने का निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली का अवलोकन करने पर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम अलवास, पटवार हल्का कलवाना भू. आ. क्षेत्र मुहाना स्थित वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थना पत्र के मद सं. 2 में वर्णित खसरा नम्बर के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नस्ती की जाकर तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested